उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

आयोग की वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in

☎ 01334-244143
01334-244282(F)
07060002410(M)

विज्ञापन सं0: A-1/S-1/2020 दिनांक 09.10.2020

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग–समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	12. 10. 2020
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	01.11.2020 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card) द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	01.11.2020 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ शाखावार/विषयवार पृथक–पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अभिलेख जमा करने की अन्तिम तिथि		16.11.2020 (सायं 6.00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 01.11.2020 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। **विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।**

(3) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(4) **ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र– हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी0एड0/शिक्षाशास्त्री/एल0टी0, अधिमानी अर्हता (यदि लागू हो) एवं विज्ञापन के बिन्दु सं0–2(2) में उल्लिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावे से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थी द्वारा पठनीय एवं वैध प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्ह माना जायेगा तथा आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का भी वैध एवं पठनीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के सापेक्ष आरक्षण सम्बन्धी कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

(5) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर

दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(6) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त् ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों :– अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, शाखा, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क [Net Banking/Debit Card/ Credit Card] के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(8) अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, **जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं (महिला एवं सामान्य शाखा) हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।** ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही **शाखा** तथा **सम्बन्धित विषयों** का उल्लेख किया जाना होगा। **एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक–पृथक जमा करना होगा।**

उदाहरण –यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिन्दी (शुल्क `150.00) तथा प्रवक्ता अंग्रेजी (शुल्क `150.00) दोनों विषयों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करती है और वह **दोनों शाखाओं (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) के उक्त विषयों हेतु आवेदन करती है** तो उसे **दोनों शाखाओं {सामान्य शाखा (प्रवक्ता हिन्दी + प्रवक्ता अंग्रेजी) एवं महिला शाखा (प्रवक्ता हिन्दी + प्रवक्ता अंग्रेजी)} हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त** निर्धारित शुल्क पृथक–पृथक {सामान्य शाखा (`150.00 + `150.00= `300.00) + महिला शाखा (`150.00+ `150.00= `300.00)} अर्थात् कुल `600.00 (प्रोसेसिंग शुल्क अतिरिक्त) जमा करना होगा।

(9) एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरता है तो इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन कर सकता है तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक से अधिक विषयों हेतु किये गये दावे के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ शाखावार/विषयवार पृथक–पृथक आवेदन पत्र के साथ विषय से सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो **परिशिष्ट–4** में उल्लिखित सूची के अनुसार संलग्नकर आयोग कार्यालय को जमा किया जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराया जाता है तो अभ्यर्थी का सम्बन्धित विषय हेतु अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

(11) **उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा/महिला शाखा) परीक्षा–2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के आधार पर की जायेगी।**

(12) प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित की जायेगी, जिसका पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है तथा परीक्षा योजना हेतु नगरों की सूची के लिए **परिशिष्ट–2** का अवलोकन करें।

(13) प्रश्नगत परीक्षा में श्रेणीवार/उपश्रेणीवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

(14) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किए जाने से पूर्व अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।

(15) विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से पूर्व अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन की दशा में शाखावार/विषयवार पृथक–पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित **परिशिष्ट–4 में उल्लिखित सूची के अनुसार समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की**

छायाप्रति आयोग कार्यालय में विज्ञापन में दिये गये निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराए जाते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(16) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवश्य अवलोकन करें। एक से अधिक शाखा/विषय में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट, आवेदन में किये गये दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेख, जो स्वहस्ताक्षरित हो, शाखावार/विषयवार हेतु अलग–अलग लिफाफों में रख कर सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम तथा शाखा एवं विषय का अंकन अवश्य करें।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा/महिला शाखा) पद हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण : उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा/महिला शाखा) पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या **571** है। **रिक्तियों की संख्या घटायी एवं बढ़ायी जा सकती है।** रिक्तियों का शाखावार (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) विवरण निम्नवत है:–

(क) प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा) विषयवार कुल 544 पद:–

क्रम सं0	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु0जाति	अनु0जनजाति	अ0पि0वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित
01.	हिन्दी	84	17	04	11	08	44
02.	अंग्रेजी	74	13	04	11	07	39
03.	संस्कृत	21	04	02	03	02	10
04.	भौतिक शास्त्र	64	12	03	10	06	33
05.	रसायन शास्त्र	57	11	04	08	05	29
06.	गणित	30	07	01	05	03	14
07.	जीव विज्ञान	49	10	02	07	04	26
08.	नागरिक शास्त्र	43	08	02	06	04	23
09.	अर्थशास्त्र	78	14	04	11	07	42
10.	इतिहास	10	02	00	02	01	05
11.	भूगोल	22	05	01	04	02	10
12.	समाजशास्त्र	09	02	00	02	00	05
13.	कला	01	00	00	00	00	01
14.	मनोविज्ञान	01	00	00	00	00	01
15.	कृषि	01	00	00	00	00	01
	योग	**544**	**105**	**27**	**80**	**49**	**283**

सामान्य शाखा के विषयवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण :–

क्र0 सं0	विषय	कुल रिक्त पद	विषयवार दिव्यांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन	अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)									अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)									अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)									आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)									अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)								
				रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग				स्व0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग				स्व0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग				स्व0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग				स्व0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग				स्व0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे
							दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता						दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता						दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता						दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता						दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता		
1	हिन्दी	84	OA,OL, B, PB	17	05	—	01	—	—	01	—	—	04	01	—	01	—	—	—	—	—	11	03	—	01	—	—	—	—	—	08	02	—	01	—	—	01	—	—	44	13	02	02	—	01	01	—	02
2	अंग्रेजी	74	OA,OL, B, PB	13	03	—	01	—	—	01	—	—	04	01	—	01	—	—	—	—	—	11	03	—	01	—	01	—	—	—	07	02	—	01	—	—	—	—	—	39	11	02	04	—	02	02	—	01
3	संस्कृत	21	OA,OL, B, PB	04	01	—	—	—	—	—	—	—	02	—	—	—	—	01	—	—	—	03	—	—	—	—	01	—	—	—	02	—	—	—	—	—	01	—	—	10	03	—	01	—	01	01	—	—
4	भौतिक शास्त्र	64	OA,OL,PD	12	03	—	—	02	—	01	—	—	03	—	—	—	01	—	—	—	—	10	03	—	—	01	01	01	—	—	06	01	—	—	01	01	—	—	—	33	10	01	—	05	01	02	—	01
5	रसायन शास्त्र	57	OA,OL,PD	11	03	—	—	02	01	—	—	—	04	01	—	—	01	—	—	—	—	08	02	—	—	01	—	01	—	—	05	01	—	—	01	—	01	—	—	29	08	01	—	05	01	02	—	01
6	गणित	30	OA,OL,PD	07	02	—	—	02	01	01	—	—	01	—	—	—	—	—	01	—	—	05	01	—	—	01	01	—	—	—	03	—	—	—	01	01	—	—	—	14	04	—	—	04	01	01	—	—
7	जीव विज्ञान	49	OA,OL,PD	10	03	—	—	01	01	01	—	—	02	—	—	—	—	01	—	—	—	07	02	—	—	01	—	01	—	—	04	01	—	—	—	01	—	—	—	26	07	01	—	05	02	01	—	01
8	नागरिक शास्त्र	43	OA,OL, B, PB	08	02	—	01	—	01	—	—	—	02	—	—	—	—	—	01	—	—	06	01	—	—	—	—	—	—	—	04	01	—	01	—	—	—	—	—	23	06	01	02	—	01	01	—	01
9	अर्थशास्त्र	78	OA,OL,PB,PD	14	04	—	—	—	01	—	—	—	04	01	—	01	—	—	—	—	—	11	03	—	—	—	—	01	—	—	07	02	—	—	—	01	—	—	—	42	12	02	01	02	01	01	—	02
10	इतिहास	10	OA,OL, B, PB	02	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—		02	—	—	01	—	—	—	—	—	01	—	—	01	—	—	—	—	—	05	01	—	—	—	01	—	—	—
11	भूगोल	22	OA,OL,PB,PD	05	01	—	01	01	01	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	04	01	—	01	01	—	—	—	—	02	—	—	—	01	—	—	—	—	10	03	—	01	01	01	—	—	—
12	समाजशास्त्र	09	OA,OL, B, PB	02	—	—	01	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	02	—	—	01	—	—	—	—	—	00	—	—	—	—	—	—	—	—	05	01	—	01	—	—	—	—	—
13	कला	01	OA,OL,PD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—
14	मनोविज्ञान	01	OA,OL,PD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	कृषि	01	PD	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—		01	—	—	—	—	—	—	—	—
योग		544		105	27	-	05	08	06	05	-	-	27	04	-	03	02	02	02	-	-	80	19	-	05	05	04	04	-	-	49	10	-	04	04	04	03	-	-	283	79	10	12	22	13	12	-	09

सामान्य शाखा के दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विषयवार दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी :–

क्र0 सं0	विषय	विषयवार दिव्यांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन	अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)				अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)				अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)				अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)			
			दिव्यांगता श्रेणी				दिव्यांगता श्रेणी				दिव्यांगता श्रेणी				दिव्यांगता श्रेणी				दिव्यांगता श्रेणी			
			दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)				(8)			
1	हिन्दी	OA,OL, B, PB	B, PB	–	–	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,	B, PB	–	–	–	B, PB	–	–	–	B, PB	–	–	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,	B, PB	–	OA, OL	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,
2	अंग्रेजी	OA,OL, B, PB	B, PB	–	–	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,	B, PB	–	–	–	B, PB	–	OA, OL	–	B, PB	–	–	–	B, PB	–	OA, OL	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,
3	संस्कृत	OA,OL, B, PB	–	–	–	–	–	–	OA, OL	–	–	–	OA, OL	–	–	–	–	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,	B, PB	–	OA, OL	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,
4	भौतिक शास्त्र	OA,OL,PD	–	PD	–	OA OL /PD, OA PD, OL PD,	–	PD	–	–	–	PD	OA, OL	OA OL /PD, OA PD, OL PD,	–	PD	OA, OL	–	–	PD	OA, OL	OA OL /PD, OA PD, OL PD,
5	रसायन शास्त्र	OA,OL,PD	–	PD	OA, OL	–	–	PD	–	–	–	PD	–	OA OL /PD, OA PD, OL PD	–	PD	–	OA OL /PD, OA PD, OL PD	–	PD	OA, OL	OA OL /PD, OA PD, OL PD
6	गणित	OA,OL,PD	–	PD	OA, OL	OA OL /PD, OA PD, OL PD	–	–	–	OA OL /PD, OA PD, OL PD	–	PD	OA, OL	–	–	PD	OA, OL	–	–	PD	OA, OL	OA OL /PD, OA PD, OL PD
7	जीव विज्ञान	OA,OL,PD	–	PD	OA, OL	OA OL /PD, OA PD, OL PD	–	–	OA, OL	–	–	PD	–	OA OL /PD, OA PD, OL PD	–	–	OA, OL	–	–	PD	OA,OL	OA OL /PD, OA PD, OL PD
8	नागरिक शास्त्र	OA,OL, B, PB	B, PB	–	OA, OL	–	–	–	–	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,	–	–	–	–	B, PB	–	–	–	B, PB	–	OA,OL	OA OL B/PB, OA B/PB, OL B/PB,
9	अर्थशास्त्र	OA,OL,PB,PD	–	–	OA,OL	–	PB	–	–	–	–	–	–	OA OL PB PD, OA PB PD, OL PB PD, OA PB, OA PD, OL PB, OL PD	–	–	OA, OL	–	PB	PD	OA,OL	OA OL PB PD, OA PB PD, OL PB PD, OA PB, OA PD, OL PB, OL PD
10	इतिहास	OA,OL, B, PB	–	–	–	–	–	–	–	–	B, PB	–	–	–	B, PB	–	–	–	–	–	OA,OL	–
11	भूगोल	OA,OL,PB,PD	PB	PD	OA,OL	–	–	–	–	–	PB	PD	–	–	–	PD	–	–	PB	PD	OA,OL	–
12	समाजशास्त्र	OA,OL, B, PB	B, PB	–	–	–	–	–	–	–	B, PB	–	–	–	–	–	–	–	B, PB	–	–	–
13	कला	OA,OL,PD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	मनोविज्ञान	OA,OL,PD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	कृषि	PD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोट–**(i)** प्रत्येक विषय के लिए दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या–4, 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित दिव्यांगता की उपश्रेणी हेतु ही अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के प्रस्तर–6 के अनुपालन में उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या–4, 5, 6, 7 एवं 8 में अंकित दिव्यांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या–3 में अंकित दिव्यांगता की उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपने आरक्षण की मूल उर्ध्वाधर **(Vertical)** श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

(iii) उक्तांकित तालिका के प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या–3 में अंकित दिव्यांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगता उपश्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

(ख) प्रवक्ता संवर्ग (महिला शाखा) के विषयवार कुल 27 पदः—

क्रम सं0	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु0जाति	अनु0जनजाति	अ0पि0वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित
01.	हिन्दी	04	01	01	00	00	02
02.	अंग्रेजी	01	00	00	00	00	01
03.	भौतिक शास्त्र	02	01	00	01	00	00
04.	रसायन शास्त्र	05	01	00	01	00	03
05.	गणित	04	01	00	01	00	02
06.	जीव विज्ञान	05	02	00	01	00	02
07.	अर्थशास्त्र	05	01	00	01	00	03
08.	भूगोल	01	00	00	00	00	01
	योग	**27**	**7**	**1**	**05**	**00**	**14**

महिला शाखा के विषयवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण :–

क्र0 सं0	विषय	कुल रिक्त पद	विषयवार दिव्यांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन
1	हिन्दी	04	OA,OL, B, PB
2	अंग्रेजी	01	OA,OL, B, PB
3	भौतिक शास्त्र	02	OA,OL,PD
4	रसायन शास्त्र	05	OA,OL,PD
5	गणित	04	OA,OL,PD
6	जीव विज्ञान	05	OA,OL,PD
7	अर्थशास्त्र	05	OA,OL,PB,PD
8	भूगोल	01	OA,OL,PB,PD
योग		27	

अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)

क्र0 सं0	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग: दृष्टिहीनता	दिव्यांग: श्रवणह्रास	दिव्यांग: चलनक्रिया	दिव्यांग: बहु दिव्यांगता	स्वं0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे
1	01	–	–	01	–	–	–	–	–
2	00	–	–	–	–	–	–	–	–
3	01	–	–	–	–	01	–	–	–
4	01	–	–	–	–	–	–	–	–
5	01	–	–	–	–	–	01	–	–
6	02	–	–	–	01	–	–	–	–
7	01	–	–	–	–	–	–	–	–
8	00	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	07	–	–	01	01	01	01	–	–

अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)

क्र0 सं0	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग: दृष्टिहीनता	दिव्यांग: श्रवणह्रास	दिव्यांग: चलनक्रिया	दिव्यांग: बहु दिव्यांगता	स्वं0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे
1	01	–	–	01	–	–	–	–	–
2	00	–	–	–	–	–	–	–	–
3	00	–	–	–	–	–	–	–	–
4	00	–	–	–	–	–	–	–	–
5	00	–	–	–	–	–	–	–	–
6	00	–	–	–	–	–	–	–	–
7	00	–	–	–	–	–	–	–	–
8	00	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	01	–	–	01	–	–	–	–	–

अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)

क्र0 सं0	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग: दृष्टिहीनता	दिव्यांग: श्रवणह्रास	दिव्यांग: चलनक्रिया	दिव्यांग: बहु दिव्यांगता	स्वं0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे
1	00	–	–	–	–	–	–	–	–
2	00	–	–	–	–	–	–	–	–
3	01	–	–	–	01	–	–	–	–
4	01	–	–	–	–	–	–	–	–
5	01	–	–	–	–	–	–	–	–
6	01	–	–	–	–	–	–	–	–
7	01	–	–	01	–	–	–	–	–
8	00	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	05	–	–	01	01	–	–	–	–

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)

क्र0 सं0	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग: दृष्टिहीनता	दिव्यांग: श्रवणह्रास	दिव्यांग: चलनक्रिया	दिव्यांग: बहु दिव्यांगता	स्वं0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे
1	00	–	–	–	–	–	–	–	–
2	00	–	–	–	–	–	–	–	–
3	00	–	–	–	–	–	–	–	–
4	00	–	–	–	–	–	–	–	–
5	00	–	–	–	–	–	–	–	–
6	00	–	–	–	–	–	–	–	–
7	00	–	–	–	–	–	–	–	–
8	00	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	00	–	–	–	–	–	–	–	–

अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)

क्र0 सं0	रिक्त पद	महिला	पूर्व सैनिक	दिव्यांग: दृष्टिहीनता	दिव्यांग: श्रवणह्रास	दिव्यांग: चलनक्रिया	दिव्यांग: बहु दिव्यांगता	स्वं0स0 से0आश्रित	उ0 अनाथ बच्चे
1	02	–	–	–	–	–	–	–	–
2	01	–	–	01	–	–	–	–	–
3	00	–	–	–	–	–	–	–	–
4	03	–	–	–	01	01	–	–	–
5	02	–	–	–	–	01	–	–	–
6	02	–	–	–	–	–	01	–	–
7	03	–	–	–	01	–	–	–	–
8	01	–	–	–	01	–	–	–	–
योग	14	–	–	01	03	02	01	–	–

महिला शाखा के दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विषयवार दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी :–

क्र0 सं0	विषय	विषयवार दिव्यांगता की उपश्रेणी का चिन्हांकन	अनुसूचित जाति (क्षैतिज आरक्षण)				अनुसूचित जनजाति (क्षैतिज आरक्षण)				अन्य पिछड़ा वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (क्षैतिज आरक्षण)				अनारक्षित (क्षैतिज आरक्षण)			
			दिव्यांग श्रेणी				दिव्यांग श्रेणी				दिव्यांग श्रेणी				दिव्यांग श्रेणी				दिव्यांग श्रेणी			
			दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता	दृष्टिहीनता	श्रवणह्रास	चलनक्रिया	बहु दिव्यांगता
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)				(8)			
1.	हिन्दी	OA,OL,B,PB	B, PB	–	–	–	B, PB	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	अंग्रेजी	OA,OL,B,PB	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B, PB	–	–	–
3.	भौतिक शास्त्र	OA,OL,PD	–	–	OA, OL	–	–	–	–	–	–	PD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	रसायन शास्त्र	OA,OL,PD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	PD	OA, OL	–
5.	गणित	OA,OL,PD	–	–	–	OA OL /PD, OA PD, OL PD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	OA, OL	–
6.	जीव विज्ञान	OA,OL,PD	–	_ PD	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	OA OL /PD, OA PD, OL PD
7.	अर्थशास्त्र	OA,OL,PB,PD	–	–	–	–	–	–	–		PB	–	–	–	–	–	–	–	–	PD	–	–
8.	भूगोल	OA,OL,PB,PD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	PD	–	–

नोट–**(i)** प्रत्येक विषय के लिए दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या–4, 5, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित दिव्यांगजन की उपश्रेणी हेतु ही अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के प्रस्तर–6 के अनुपालन में उक्तांकित तालिका के कॉलम संख्या–4, 5, 6, 7 एवं 8 में अंकित दिव्यांगजन की उपश्रेणी के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या–3 में अंकित दिव्यांगजन की उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपने आरक्षण की मूल उर्ध्वाधर **(Vertical)** श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

(iii) उक्तांकित तालिका के प्रत्येक विषय के कॉलम संख्या–3 में अंकित विकलांगता की उपश्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

02.(1) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं– सेवा में प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैः–

क्र0सं0	पद का नाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हताएं
01.	प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, अंग्रेजी।	**01.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। **02.** राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः– **(एक)** प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, **या** **(दो)** नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, **या** **(तीन)** एन0एस0एस0 का 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
02.	प्रवक्ता नागरिक शास्त्र	**01.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। **02.** राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
03.	प्रवक्ता जीव विज्ञान	**01.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। **02.** राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
04.	प्रवक्ता हिन्दी	**01.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। **02.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि। **03.** राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
05.	प्रवक्ता संस्कृत	**01.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य– साहित्य, आचार्य– व्याकरण, आचार्य– फलित ज्योतिष, आचार्य– नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य– तुलनात्मक दर्शन की उपाधि। **02.** राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0/शिक्षाशास्त्री)।	
06.	प्रवक्ता कला	**01.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला (ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि। **02.** राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	
07.	प्रवक्ता कृषि शास्त्र	**01.** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। **02.** राजकीय या सरकार से मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।	

(2) उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) समूह–'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता निम्नवत् हैं:–

(i) <u>उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं यथा संशोधन नियमावली, 2019 में उल्लिखित प्राविधानों एवं विशेष अपील सं0 932/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2018 को पारित निर्णय के अनुसार निर्धारित की जायेगी।</u>

परन्तु शासन के पत्रांक 1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। **"उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवाऐं सम्मिलित नहीं है''।**

(ii) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

03. भर्ती की प्रक्रिया:– उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 के **<u>नियम–15(3) के अनुसार:–</u>**

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा सामान्य/महिला शाखा पद हेतु आयोग द्वारा विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

04. पद का स्वरुप व पेंशन योजना:–अराजपत्रित, अस्थायी/स्थायी (अविरल)/अंशदायी पेंशन योजना।

05. वेतनमान:– ` 47600-151100 (लेवल–8)।

06. आयु सीमा:–

(1) उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा सामान्य/महिला शाखा पद हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2020 है अर्थात् अभ्यर्थियों को आयु गणना की निश्चायक तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1999 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट:– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश सं0 1399 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड शारीरिक रूप से विकलांग हेतु अभ्यर्थियों को शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह–'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक–2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

07. राष्ट्रीयताः– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से बाद सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

08. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार, या राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. शारीरिक स्वस्थता :–किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह मानसिक व शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

11. आरक्षण :–(क) उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। **ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।**

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। **इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।**

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य श्रेणी के अंतर्गत) ही आवेदन कर सकेंगे।

(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2019–53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ लिखित परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(ड़) शासनादेश संख्या 196/XVII-2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च 2011 के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये गये हैं। अतः दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है। शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिक्तियों के विवरण के अनुसार **सम्बन्धित विषय में जिस–जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी दिव्यांगता के श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।**

(च) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(छ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–5"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–5"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ज) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(झ) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 415/ XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। **सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।**

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर [MenuBar] में [How to Apply] लिंक पर क्लिक करें। [How to Apply] page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात [Apply Now] बटन पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् खुले Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Applying for में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते है Tick करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में, जिस पद हेतु आवेदन करना चाहतें है उसके समक्ष Tick करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदर्शित होगा।

फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत सर्वप्रथम High School का विवरण भरें एवं Add Education Details पर क्लिक करें, भरा गया विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह Intermediate, Graduation, B.Ed., Post Gradudation व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। एक से अधिक Graduation/Post Gradudation को भरने की स्थिति में भी यही प्रक्रिया अपनाएं। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर Submit पर क्लिक करें।

उसके पश्चात Upload Images and Documents पर क्लिक कर Photo, Signature एवं Documents को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo, Signature एवं Documents को अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1. आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information , Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo, Signature एवं Documents को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि , ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी** ukpschelpline@gmail.com **पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2. **आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात्** आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

3. परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक पद हेतु 26.55 रूपये है।)**

4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

13. **शुल्क** :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
06	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (विषयवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रू0 26.55/–	रू0 26.55/–
07	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–

नोट :– (1) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) विकलांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट शासनादेश संख्या : 232(1)**/XXX(2)/2018** दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या–17 के अनुसार दिया जायेगा। उक्तांकित शासनादेश के बिन्दु संख्या–17 के अनुसार **"राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विहित आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट उन्हीं दिव्यांगजनों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा आवेदित पद पर चयन हेतु उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।"**

14. **अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–**

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 यथा संशोधन 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(03) उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा/महिला शाखा) परीक्षा–2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार केवल विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के आधार पर की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे।

आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा के पूर्व/तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) केवल वही अभ्यर्थी विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ विषयवार समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की वैध छायाप्रतियॉ (परिशिष्ठ–4 के अनुसार) आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा किये गये हों तथा आयोग में निर्धारित तिथि तक प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 के आलोक में अर्ह पाये गये हों।

(06) विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अलग–अलग शाखा/विषय के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार पृथक–पृथक शैक्षणिक व अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से पूर्व **ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ विषयवार पृथक–पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अभिलेख जमा करने की अन्तिम तिथि** तक अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

(08) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में बुलाये जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों के द्वारा प्रसारित की जायेगी।

(09) अभ्यर्थी **ऑनलाइन आवेदन करते समय विषयवार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु नियत नगर का उल्लेख अवश्य करें।** लिखित परीक्षा निम्नलिखित नगरों पर आयोजित की जायेगी :–

परिशिष्ट–2

क्रम सं0	नगर का नाम
01.	अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)
02.	रानीखेत (अल्मोड़ा)
03.	चम्पावत (चम्पावत)
04.	पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़)
05.	नैनीताल (नैनीताल)
06.	हल्द्वानी (नैनीताल)
07.	रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)
08.	काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
09.	बागेश्वर (बागेश्वर)
10.	पौड़ी (पौड़ी गढ़वाल)
11.	श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)
12.	कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)
13.	गोपेश्वर (चमोली)
14.	नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)
15.	रूद्रप्रयाग (रूद्रप्रयाग)
16.	उत्तरकाशी (उत्तरकाशी)
17.	देहरादून (देहरादून)
18.	ऋषिकेश (देहरादून)
19.	हरिद्वार (हरिद्वार)
20.	रूड़की (हरिद्वार)

नोट :– अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं तथा इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित **"दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश" (परिशिष्ट–6)** के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी।

(11) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत् किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड के रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(12) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर कुंजी के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त् आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ` 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

(14) कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(15) परीक्षा केन्द्र में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(16) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बांये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दांयें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(17) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित/संस्तुत किया जा चुका है तो भी आयोग द्वारा शासन से चयन संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(18) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अंकतालिका, समस्त प्रमाण–पत्र/उपाधि व अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) व अधिमानी अर्हता (यदि लागू हो) एवं दावित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ।

(ख) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य वैध होना चाहिये।

(ग) शासनादेश सं0–123/XXX(2)/2019–30(1)/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(घ) उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि के पूर्व जारी हुआ हो।

(ड़) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि वे पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

(19) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(20) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(21) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(22) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(24) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः–** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेर बदल नहीं करें तथा न ही वे फेर बदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(25) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः– 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को

प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(26) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद, आवेदित शाखा तथा विषय का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(27) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(28) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(29) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(30) अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012,

2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

(31) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(32) आयोग द्वारा चयन परिणाम पद हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(33) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(34) परीक्षा कार्यक्रम एवं अन्य आवश्यक सूचना समय–समय पर आयोग की वेबसाईट एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।

S/d-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट–3

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग–समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा–2020 के विषयवार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक (Qualifying Marks)

अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा के विषयवार लिखित परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) के द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	विषयवार लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45%
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40%
3	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%
4	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी/ उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%

नोट– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

<u>परिशिष्ट–4</u>

<u>निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है</u> :–

1) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
2) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
3) स्नातक उपाधि एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
4) स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
5) एल0टी0 डिप्लोमा या शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
6) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (**<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष)</u>** ।
7) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र (**<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष)</u>** ।
8) विज्ञापन के बिन्दु सं0–2(2) में उल्लिखित "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र के Required Eligibility में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण पत्र।
9) यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत् है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र (Application) की पावती (Receiving)।
10) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
11) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट–5

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम....................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .... तारीख ....**निःशक्तता**

प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु .... लिंग ....पहचान चिन्ह् .... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। '

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैंः–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं

डा0..)	(डा0..)	(डा0..)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

’ जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या..................................वर्ष...............................हेतु मान्य दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला.. पोस्ट ऑफिस...जिला...पिन कोड.................................. उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.................................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...जो कि..जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम...

पदनाम...

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट–6

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट–1 प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–2 की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–2 की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे (उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

97

APPENDIX- I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ______________________ (name of the candidate with disability), a person with ________________ (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ________________, a resident of ______________________________ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment – Ophthalmologist, Lcomotor disability – Prthopaedic specialist/PMR).

APPENDIX- II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I ________________________, a candidate with __________ (name of the disability) appearing for the ________________ (name of the examination) bearing Roll No. __________________ at ______________________ (name of the centre) in the District ________________________, ______________ (name of the State). My qualification is ______________.

I do hereby state that __________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ________________. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date: